ड्राईविंग लाईसेंस (चालन अनुज्ञप्ति)

I आवेदन कहाँ किया जाना है – स्थान

लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन उस क्षेत्र के लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को प्रस्तुत किया जाएगा जहाँ:–

1. आवेदक साधारणतया निवास करता है, या
2. व्यापार करता है, या
3. जहाँ वह मोटर ड्राईविंग स्कूल स्थित है जिसमें वह मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

II प्रक्रिया

स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने के दो स्तर हैं–

प्रथम स्तर– लर्निंग लाईसेंस (शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्राप्त करना)

द्वितीय स्तर–लर्निंग लाईसेंस के जारी किये जाने की तिथि के कम से कम 1 माह बाद स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त की जायेगी)

स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को प्ररूप संख्या 4 में आवेदन स्वयं उपस्थित होकर निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हुए किया जाएगा:–

1. वांछित श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए जारी वैध लर्निंग लाईसेंस (मूल प्रति)
2. आवेदक के नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो की तीन प्रतियाँ

3. परिवहन यान श्रेणी के ड्राईविंग लाईसेंस हेतु मोटर चालक प्रशिक्षण स्कूल द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (प्रपत्र सं. 5) जहाँ कि उसने इस बाबत् प्रशिक्षण लिया है, किन्तु –

    हल्के मोटर यान को परिवहन यान के रूप में चलाने हेतु राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 2.2 के अनुसार केवल ऑथोराईजेशन की आवश्यकता ही होगी जो आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र एवं निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त जारी किया जायेगा।

4. निर्धारित फीस (पुनः देय नहीं–चूंकि उक्त फीस प्रार्थी द्वारा लर्निंग लाईसेंस के आवेदन के साथ ही जमा करा दी जाती है)

प्ररूप संख्या 4 (नियम 4 देखिये)
मोटर यान को चलाने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

अनुज्ञापन अधिकारी

....

मैं निम्नलिखित वर्णन के यानों को चलाने के लिए मुझे समर्थ बनाने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूं –

(क) बिना गियर वाली मोटर साइकिल (ख) गियर वाली मोटर साइकिल

(ग) अशक्त यात्री गाड़ी (घ) हल्का मोटर यान

(ड.) [2] (परिवहन यान) (च) मध्यम यात्री मोटर यान

(छ) [2](x x x) (ज) [2](x x x)

(झ) रोड़ रोलर (ण) निम्नलिखित वर्णन का मोटरयान

वे विशिष्टयां जो आवेदक द्वारा भरी जानी हैं –

1. नाम ....
2. .... का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री
3. स्थायी पता/ (सबूत संलग्न किया जाय) ....
4. अस्थायी पता/ सरकारी पता (यदि कोई है) ....
5. जन्म की तारीख (सबूत संलग्न किया जाए) ....
6. शैक्षिक योग्यताएं ....
7. पहचान चिन्ह (1) .... (2) ....

[3](8. ऐच्छिक– रक्त ग्रुप और आर. एच. फैक्टर ....

9. क्या आपने पहले चालन–अनुज्ञप्ति ली है, यदि हां ता ब्यौरे दें ....
10. उस प्रत्येक दोषसिद्धि की विशिष्टयां और तारीख जिन्हें आवेदक द्वारा धारित किसी अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किये जाने का आवेश किया गया है। ....
11. क्या आप चलाने के लिए किसी अनुज्ञप्ति को अभिप्राप्त करने में निरर्हित किये गये है ? यदि ऐसा है तो किस कारण ? ....
12. क्या आपका चालन परीक्षण लिया गया है जिससे कि उस यान को, जिसकी बाबत चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, चलाने की आपकी उपयुक्ता या योग्यता का पता लग सके। यदि ऐसा है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें –

परीक्षण की तारीख	परीक्षण प्राधिकारी	परीक्षण परिणाम
(1)	....	....
(2)	....	....
(3)	....	....
(4)	....	....

13. मैं [3] (पासपोर्ट साइज के अपने हाल के फोटोग्राफ) की तीन प्रतियां संलग्न करता हूं। (जहां पटलित कार्ड प्रयोग किया जाता है, वहां फोटोग्राफ अपेक्षित नहीं है।)

14. मैं अनुज्ञापन प्राधिकारी .... द्वारा जारी किया गया तारीख .... की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति संख्या संलग्न करता हूं।
15. मैं. .... द्वारा जारी किया गया तारीख .... का चालन प्रमाणपत्र संख्या .... संलग्न करता हूं।
16. मैने शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ माता/पिता/संरक्षक की लिखित सहमति प्रस्तुत कर दी हैं
17. मैंने, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन के साथ स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है। मैं स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र संलग्न करता हूं।
18. मैं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 6 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण से छूट प्राप्त हूं।
19. मैं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 11 (2) के अधीन प्रारम्भिक परीक्षण से छूट प्राप्त हूं।
20. मैंनै .... रूपये की फीस का संदाय कर दिया है।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

टिप्पणी – जो लागू न हो उसे काट दें।
तारीख ....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

चालन योग्यता के परीक्षण का प्रमाण–पत्र

आवेदक ने केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 15 के अधीन विहित परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया है। परीक्षण .... तारीख .... को .... (यहां यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और उसके वर्णन की प्रविष्टि करें) को पारित किया गया था।
आवेदक, परीक्षण में असफल रहा है (कमी के ब्यौरे सूचीबद्ध किये जायें)

परीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पदाभिधान
आवेदक के दो नमूना हस्ताक्षर

तारीख ....
टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दें।

(प्ररूप–5 नियम 14 (ड.) 17 (1) (ख), 27 (घ) और 31 क (2))

ड्राइविंग स्कूल या स्थापन द्वारा जारी किया गया चालन–प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... के पुत्र/की पत्नी/की पुत्री हैं, इस विद्यालय में .... प्रविष्टि किये गये थे/की गई थी और उसका नाम हमारे रजिस्टर में प्ररूप–14 में क्रम संख्याक .... के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और उन्होने .... से .... तक की अवधि के लिये विहित पाठ्यक्रम के अनुसार .... (यान के वर्ग का उल्लेख करें) प्रशिक्षण क्रम संतोषजनक रूप से कर लिया है।

मैं उनकी/उसकी शारीरिक, उपयुक्ता और दायित्व–बोध से सन्तुष्ट हूं।

हस्ताक्षर नाम और पद
ड्राइविंग स्कूल का नाम और पता तथा अनुज्ञप्ति
संख्यांक और उसके जारी किये जाने की तारीख

III ड्राईविंग टैस्ट

आवेदक ड्राईविंग लाईसेंस हेतु लर्निंग लाईसेंस प्राप्त करने की तिथि के कम से कम 30 दिन बाद स्वयं ड्राईविंग टैस्ट हेतु संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा।

यदि आवेदक ड्राईविंग टैस्ट उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे ड्राईविंग लाईसेंस जारी कर दिया जायेगा।

ड्राईविंग टैस्ट में असफल होने पर दुबारा टैस्ट के लिए शर्तें :–

एक बार ड्राईविंग टैस्ट में असफल होने पर 7 दिन बाद पुनः परीक्षण की अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रकार यदि 3 बार में भी आवेदक ड्राईविंग टैस्ट में सफल नहीं हो तो वह अंतिम टैस्ट से 60 दिन की अवधि पूरी होने से पहले पुनः ड्राईविंग टैस्ट में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा।

IV प्रभावी अवधि

ड्राईविंग लाईसेंस के जारी करने की दिनांक से एक निश्चित अवधि तक के लिए यह प्रभावी होता है, जिस अवधि के समाप्त होने के 30 दिन के भीतर उसका नवीनीकरण करवाना आवश्यक होता है। मोटर वाहन के प्रकार एवं संबंधित लाईसेंसधारक की आयु के आधार पर प्रभावी अवधि इस प्रकार है:–

क्र. सं.	मोटर वाहन का प्रकार	प्रभावी अवधि
1	परिवहन यान चलाने के लिए	3 वर्ष
2	परिवहन यान के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के वाहन चलाने के लिए:–	
	(ए)–यदि लाईसेंस होल्डर की आयु 50 वर्ष से कम हो।	20 वर्ष अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि तक दोनों में से जो पहले हो।
	(बी)–यदि लाईसेंस होल्डर की आयु 50 वर्ष से अधिक हो।	5 वर्ष

इस प्रकार यदि प्रार्थी ने नियमानुसार सही आवेदन किया है एवं ड्राईविंग टैस्ट उत्तीर्ण कर लिया है और आवेदक को ऐसा लाईसेंस रखने/पाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, तो संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा ड्राईविंग लाईसेंस जारी कर दिया जाएगा।